

फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी देवगढ़ जिला राजसमन्द

प्रकरण संख्या 56/24 (दे. वा. शीर्षक) मोरू बनाम गोदर सिंह

दिनांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर/ सूचना नं.
24.7.24	<p>पत्रावली दर्ज रजिस्टर्ड होकर पेश हुई। प्रतिवादी शर्मा को मय नकल बाद पत्र के सम्मन जारी किये जाने। पत्रावली वाले तलबी दिनांक 21.8.24 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">सहायक कलक्टर देवगढ़, जिला राजसमन्द</p> <p>21/08/2024 पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष उपस्थित/अनुपस्थित। आज PO साहब राजकीय भ्रमण/अवकाश/अन्य राजकीय कार्यों में व्यस्त होने से आगामी पेशी दिनांक की सूचना नोटिस बोर्ड पर चस्पा की गई। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 18/09/2024 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">हस्ताक्षर रीडर (न्यायालय सहायक कलक्टर, देवगढ़)</p> <p>18/09/2024 पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष उपस्थित/अनुपस्थित। आज PO साहब राजकीय भ्रमण/अवकाश/अन्य राजकीय कार्यों में व्यस्त होने से आगामी पेशी दिनांक की सूचना नोटिस बोर्ड पर चस्पा की गई। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 12/11/2024 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">हस्ताक्षर रीडर (न्यायालय सहायक कलक्टर, देवगढ़)</p> <p>12/11/2024 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता वारी उपस्थित। प्रतिवादी संख्या 01 से 06 को जारी सम्मन बाद तामिल हो, शामिल पत्रावली है। प्रतिवादी संख्या 01 से 06 वाकफ़ सूचना तामिल के अनुपस्थित। पत्रावली वाले इतजार जवाब दिनांक 11/12/2024 को पेश हो।</p> <p>11/12/2024 पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष उपस्थित/अनुपस्थित। आज PO साहब राजकीय भ्रमण/अवकाश/स्थानान्तरण अन्य राजकीय कार्यों में व्यस्त होने से आगामी पेशी दिनांक की सूचना नोटिस बोर्ड पर चस्पा की गई। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 22/01/2025 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">हस्ताक्षर रीडर (न्यायालय सहायक कलक्टर, देवगढ़)</p>	

22/01/25

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता वादी उपस्थित।
उत्तरवादी संख्या 01 से 06 बावजूद सूचना शामिल के
अनुपस्थित। पत्रावली वाले ईतजार जवाब दिनांक
12/02/25 को पेश हो।

Not Press
Bhaskar

12/02/25

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता वादी उपस्थित।
अधिवक्ता वादी ने उरण में नोटिफ कर मोई मांभवादी
नहीं चाहने बाबत निवेदन किया गया। मामले में अभी
अधिवक्ता द्वारा मोई मांभवादी नहीं चाहने से उरण
में अब मोई मांभवादी प्रेष नहीं रहनी है। अतः वादी काफ
नोटिफ में खारिज किया जाता है। पत्रावली फलतः शुक्र
दि. नम्बर से कम की जावे।

सहायक कलेक्टर

देवगढ, जिला-राजसमन्व